



बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक— 8 बजट (1) 24/2025.....137(नि०)आ०

दिनांक— .....28/01/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक, पशुपालन,  
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 277 शिक्षा, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415032770101, बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 796 जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415037960101 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालय के व्यय को वहन करने हेतु ₹ 1,12,91,400/- (एक करोड़ बारह लाख एकानवे हजार चार सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 140 दिनांक 10.01.2024 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक 4037 दिनांक 10.09.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश सं० 88 (नि०) आ० दिनांक 23.09.2025 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 1,12,91,400/- (एक करोड़ बारह लाख एकानवे हजार चार सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष								
		0101.31.04- सहायक अनुदान-वैतन			0101.31.06- सहायक अनुदान-गैर वैतन			कुल आवंटित राशि (रुपये में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	02-2415032770101 (सागान्य घटक)	41,71,700	22,46,300	64,18,000	1,25,98,300	67,83,700	1,93,82,000	1,67,70,000	90,30,000	2,58,00,000
2	02-2415037890101 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	0	0	0	33,59,800	18,09,200	51,69,000	33,59,800	18,09,200	51,69,000
3	02-2415037960101 (जनजातीय क्षेत्र उप योजना)	0	0	0	8,39,800	4,52,200	12,92,000	8,39,800	4,52,200	12,92,000
कुल योग :-		41,71,700	22,46,300	64,18,000	1,67,97,900	90,45,100	2,58,43,000	2,09,69,600	1,12,91,400	3,22,61,000

₹ 1,12,91,400/- (एक करोड़ बारह लाख एकानवे हजार चार सौ) मात्र।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 277 शिक्षा, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415032770101, बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 796 जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415037960101 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के तहत कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Poultry Research and Training Centre) की स्थापना एवं संचालन की योजना के लिये दिया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पी0एल0 खाता संख्या-PBBPLA032 में अंतरित किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, 227/वि०, दिनांक 28.03.2024, 235/वि०, दिनांक 01.04.2025 एवं 600/वि०, दिनांक 06.08.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेज दें।

6. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

पटना-15, दिनांक 28/01/2026

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 24/2025.....137 (नि०) आ०/

**प्रतिलिपि** - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी०ए०-57-96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय राज्यादेश सं० 140 दिनांक 10.01.2024 में अंकित अनुदेशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।